

राजस्थान सरकार



सत्यमेव जयते

सत्यमेव जयते

जल संसाधन विभाग

बत्तीसा नाला लघु सिंचाई परियोजना देलदर

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम

तहसील आबुरोड

जिला – सिरौही (राजस्थान)

बत्तीसा नाला लघु सिंचाई परियोजना देलदर

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थान स्कीम विवरिणिका

क्र.सं.	आईटम	पेज नं.
1	परियोजना के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थान का संक्षिप्त विवरण	1-2
2	पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सारांश	3
3	पहली अनुसूची भू-स्वामियों के लिए प्रतिकर भूमि अर्जन, अधिकार अधिनियम 2013 के अनुसार	4
4	दूसरी अनुसूची पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन हकदारी के तत्व भूमि अर्जन, अधिकार अधिनियम 2013 के अनुसार	5-6
5	तीसरी अनुसूची अवसंरचनात्मक सुविधाओं का उपबंध भूमि अर्जन, अधिकार अधिनियम 2013 के अनुसार	7-8
6	परियोजना के डूब से प्रभावित गांवों के परिवारों एवं प्रभावितों को दिये जाने वाले प्लोटो का विवरण	9
7	परियोजना के डूब से प्रभावित गांवों के परिवारों की जनसंख्या विवरण प्रपत्र	10
8	डूब क्षेत्र में आने वाली परिसम्पत्तियों का सारांश	11
9	डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि व भूमि के लिये भूमि का सारांश	12
10	परियोजना के डूब से प्रभावित गांवों के परिवारों का कटेगरी वाईज विवरण प्रपत्र	13
11	ग्राम ब्यारी के विस्थापित परिवारों एवं पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अन्तर्गत देय राशि का विवरण प्रपत्र	14-23
12	ग्राम निचलागढ के विस्थापित परिवारों एवं पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अन्तर्गत देय राशि का विवरण प्रपत्र	24-36
13	ग्राम देलदर की परियोजना के डूब में आने वाली भूमि एवं भूमि के बदले भूमि दिये जाने का विवरण प्रपत्र	37-40
14	ग्राम ब्यारी की परियोजना के डूब में आने वाली भूमि एवं भूमि के बदले भूमि दिये जाने का विवरण प्रपत्र	41-64
15	ग्राम जायदरा की परियोजना के डूब में आने वाली भूमि एवं भूमि के बदले भूमि दिये जाने का विवरण प्रपत्र	65-69
16	ग्राम निचलागढ की परियोजना के डूब में आने वाली भूमि एवं भूमि के बदले भूमि दिये जाने का विवरण प्रपत्र	70-75
17	डूब क्षेत्र व पुनर्वास क्षेत्र के सजरा	76-78


 (जे. पी. शर्मा)
 अधिशासक, जल संयंत्र, सिरोही (राजस्थान)

बत्तीसा नाला लघु सिंचाई परियोजना पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन प्लान

तहसील: आबूरोड जिला: सिरौही

संक्षिप्त प्रतिवेदन

परियोजना परिचय :-

बत्तीसा नाला लघु सिंचाई परियोजना ग्राम देलदर, तहसील आबूरोड के समीप बत्तीसा नाला पर निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। बांध स्थल की आबूरोड से दूरी 15 कि.मी. व जिला मुख्यालय सिरौही से दूरी 70 कि.मी. है। राज्य सरकार द्वारा परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति आदेश क्रमांक F-3(12) AS/I/Cell/96/XVII/120th meeting/ 274 dated 28.07.2016 द्वारा राशि रु. 228.05 करोड़ की जारी गई है। परियोजना का शिलान्यास दिनांक 29.07.2016 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार द्वारा किया गया था।

प्रस्तावित परियोजना में बांध की कुल भराव क्षमता 577.40 मि.घ.फु. एवं उपयोगी भराव क्षमता 500.40 मि.घ.फु. है। बांध में उपलब्ध पानी में से 269.80 मि.घ.फु. जल का उपयोग सिरौही जिले के 31 गांवों व 2 शहरों को पेयजल सुविधा हेतु तथा शेष पानी को ग्राम देलदर भारजा इत्यादि गांवों की 900 हैक्टर में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। पेयजल हेतु उपलब्ध कराये जाने वाले आरक्षित पानी का समानुपातिक हिस्सा राशि रु. 108.20 करोड़ जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा वहन की जायेगी।

बत्तीसा नाला लघु सिंचाई परियोजना के निर्माण में डूब क्षेत्र, डेम लाईन एवं विस्थापित होने वाली सड़क में कुल 158.32 हैक्टर भूमि प्रभावित होती है जिसमें से 91.202 हैक्टर भूमि वन विभाग के अधिपत्य की भूमि है तथा शेष 72.98 हैक्टर भूमि निजी खातेदारी, आबादी एवं सरकारी बिलानाम भूमि है।

पूर्ण भराव क्षमता पर आबूरोड तहसील का क्यारी गांव (ग्राम पंचायत जायदरा) पूर्ण एवं देलदर, जायदरा, निचलागढ तीन गांव आंशिक रूप से डूब क्षेत्र से प्रभावित होंगे। डूब क्षेत्र से विस्थापित होने वाले परिवारों की संख्या 291 है, जो सभी अनुसूचित जनजाति के हैं।

पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम :-

बत्तीसा नाला लघु सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में आ रहे सिरौही जिले की आबूरोड तहसील के 4 गांव की भूमि प्रभावित होगी तथा दो गांवों क्यारी एवं निचलागढ के 291 परिवार प्रभावित होंगे जिनका पुनर्व्यवस्थापन किया जावेगा। पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु भूमि राज्य सरकार द्वारा आवंटित की जावेगी।

मुआवजा :-

डूब में आने वाली भूमि एवं अन्य परिसम्पत्तियों का मुआवजा "भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार का अधिनियम 2013" के प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा। भूमि अवाप्ति हेतु धारा-4 के अन्तर्गत अधिसूचना राज्य सरकार द्वारा क्रमांक 74/भू.अ./ज.सं./2015/5668-5671 दिनांक 28.09.2016 को जारी की गई थी तथा संबंधित ग्राम पंचायत को सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन हेतु अधिकृत किया गया।

राज्य सरकार द्वारा आदेश क्रमांक 74/भू.अ./ज.सं./2015/5673-5678 दिनांक 28.09.2016 द्वारा धारा-7 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन के मूल्यांकन हेतु बहुशास्त्रीय विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया तथा आदेश क्रमांक 150/भू.अ./ज.सं./2016/6845-47 दिनांक 13.12.2016 को धारा-8 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का अनुमोदन किया गया।

अधिनियम की धारा-11 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा क्रमांक 150/भू.अ./ज.सं./2016/ 6872 दिनांक 14.12.2016 को विज्ञप्ति जारी कर उपखण्ड अधिकारी, आबूपर्वत की प्रशासक नियुक्त किया गया तथा धारा-11 के प्रकाशन की तिथि 26.12.2016 से 60 दिवस की अवधि में किसी हितवद्ध व्यक्ति द्वारा आपत्ति प्रस्तुत नहीं किये जाने से भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, आबूपर्वत द्वारा धारा-15 की कार्यवाही दिनांक 05.05.2017 को पूर्ण कर धारा-16 की कार्यवाही प्रारम्भ की गई।



पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम :-

अधिनियम की धारा-43 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना क्रमांक 150/भूअ./ज.स./2016/7083 दिनांक 28.12.2016 जारी की गई तथा धारा-45 के अन्तर्गत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन समिति का गठन आदेश क्रमांक 150/भूअ./ज.स./2016/ 646-650 दिनांक 08.02.2017 द्वारा किया गया।

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार करने हेतु डूब क्षेत्र की भूमि, परिवारों एवं परिसम्पत्तियों की गणना हेतु फील्ड सर्वेक्षण किया गया। फील्ड सर्वेक्षण से प्राप्त गणना के आधार पर प्रारूप पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार की गई।

प्रारूप पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम की जन सुनवाई संबंधित ग्राम सभाओं में दिनांक 29.05.2017 को की गई द्वारा प्रारूप पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का अनुमोदन किया तथा परिवारों व परिसम्पत्तियों का पुनः सर्वेक्षण व पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र को लेकर कुछ आपत्तियां प्रस्तुत की।

प्राप्त आपत्तियों की पालना में दिनांक 01.06.2017 से 07.06.2017 को डूब क्षेत्र के परिवारों व परिसम्पत्तियों की पुनः गणना की गई तथा गणना/सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों का समावेश कर प्रारूप पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार की गई हैं।

सारांश

पहली अनुसूची - भू-स्वामियों के लिये प्रतिकर :- अधिनियम 2013 की पहली अनुसूची के अनुसार अवाप्त की जाने वाली निजी भूमि का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	गांव का नाम	अवाप्त की जानी वाली अनुमानित भूमि			भूमि के बदले भूमि का विवरण			शेष 2.5 एकड़ से अधिक भूमि जिसका मुआवजा देय होगा			विशेष विवरण	
					पुनर्स्थापित किये जाने वाला गांव	अवाप्त की जाने वाली भूमि के बदले भूमि						
		बीघा	बिस्वा	है.	बीघा	बिस्वा	है.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	क्यारी	200	14	50.79	भीमाना	193	14	49.02	7	0	1.77	
2	निचलागड	55	12	14.07	भीमाना	51	2	12.93	4	8	1.11	
3	देलदर	13	7	3.38	भीमाना	13	7	3.38	0	0	—	
4	जायदरा	18	15	4.74	भीमाना	18	10	4.68	0	4	0.50	
	योग	288	8	72.98		276	13	70.01	11	12	2.93	

डूब क्षेत्र के जनजाति परिवारों की मांग व अधिनियम की दूसरी अनुसूची की पालना में अर्जित क्षेत्र के समतुल्य या ढाई एकड़, जो भी कम हो, भूमि के लिये भूमि के रूप में दिया जायेगा तथा शेष भूमि व परिसम्पत्तियों का मुआवजा पहली अनुसूची के अनुसार दिया जायेगा।

दूसरी अनुसूची :- विस्थापित परिवारों को दूसरी अनुसूची के अनुरूप आवास, आवारीय भूखण्ड एवं अन्य देय परिलाभ दिये जायेंगे।

विस्थापित परिवारों का विवरण निम्नानुसार है :-

1. क्यारी (जायदरा) : 164
2. निचलागड : 127

कुल 291 परिवार

पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र (तहसील पिण्डवाड़ा)-

1. भीमाना, 2. उडवारिया, 3. भूजेला

तीसरी अनुसूची:- अवसंरचनात्मक सहूलियतों व मूलभूत न्यूनतम सुविधाओं का प्रावधान तीसरी अनुसूची के अनुसार किया गया है।

उक्त सभी प्रावधानों को समाहित करते हुए राशि रु. 2240.66 लाख का पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन प्लान तैयार किया गया है।

सहायक अभियन्ता
जल संसाधन उपखण्ड,
सरूपगंज

अधिशायी अभियन्ता
जल संसाधन खण्ड,
सिरोही

प्रशासक (सदस्य संयोजक)
पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन समिति
एवं उपखण्ड अधिकारी, आबूपर्वत

बत्तीसा नाला लघु सिंचाई परियोजना पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन प्लान

तहसील: आबूरोड जिला: सिरौही

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सारांश :-

अ	विस्थापित परिवारों को देय परिलाभ				
1	प्रति परिवार नया भवन का निर्माण ईन्दिरा आवास के मापदण्डो अनुसार अथवा समतुल्य राशि @1.4928 लाख	291	प्रति परिवार	1.49	434.40
2	विस्थापित कुटुम्बो को एक वर्ष के लिए जीवन निर्वाह अनुदान 3000/- रु. प्रतिमाह + एस.टी. के लिए 50000/- रु. अतिरिक्त = 86000/- प्रति परिवार	291	प्रति परिवार	0.86	250.26
3	विस्थापित कुटुम्बो के लिए परिवहन खर्च @50000/- प्रति परिवार	291	प्रति परिवार	0.50	145.50
4	पशुबाडा @25000/- प्रति परिवार	291	प्रति नग	0.25	72.75
5	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता @50000/- प्रति परिवार	291	प्रति नग	0.50	145.50
योग (अ)					1048.41

ब पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र में उपलब्ध करायी जाने वाली अवसंरचनात्मक सुविधाएँ

क्र.स.	आईटम	मात्रा	इकाई	लागत (लाखों में)	राशि (लाखों में)
1	सामुदायिक भवन	3	प्रति नग	20.00	60.00
2	पेयजल के लिए हैंडपम्प	13	प्रति नग	1.00	13.00
3	50 किलो लीटर पानी की टंकी टयूबवेल सहित	1	प्रति नग	10.00	10.00
4	टयूबवेल की बिजली व्यवस्था	1	प्रति नग	3.10	3.10
5	डी आई-7 100 एम.एम. व्यास की पाईप लाईन	500	प्रति मीटर	0.22	110.00
6	विद्यालय भवन	2	प्रति नग	20.00	40.00
7	कॉलोनी विकास	2	प्रति नग	10.00	20.00
8	जलदाय व ड्रेनेज व्यवस्था	2	प्रति नग	20.00	40.00
9	कॉलोनी की भीतरी सड़क व्यवस्था व सम्पर्क सड़क	8	प्रति किमी.	40.00	320.00
10	कॉलोनी की बिजली व्यवस्था	2	प्रति नग	10.00	20.00
11	सार्वजनिक शौचालय व्यवस्था	2	प्रति सैट	5.00	10.00
12	मन्दिर/चौपाल/चबूतरा	2	प्रति नग	2.00	4.00
13	चिकित्सा उप केन्द्र	2	प्रति नग	10.00	20.00
14	आंगनवाडी भवन	2	प्रति नग	5.00	10.00
15	पशु चिकित्सा केन्द्र	2	प्रति नग	5.00	10.00
16	खेल मैदान व बगीचा विकास	2	प्रति नग	3.00	6.00
17	छोटी दुकान	2	प्रति नग	3.00	6.00
योग (ब)					702.10
कुल योग (अ एवं ब)					1750.51
2 साल का एस्केलेशन चार्ज @14% प्रति वर्ष					490.14
महायोग					2240.66

सहायक अभियन्ता

जल संसाधन उपखण्ड, सरूपगंज

अधिसाक्षी अभियन्ता

जल संसाधन खण्ड, सिरौही

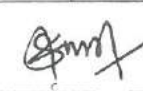
उपखण्ड अधिकारी
आबूपर्वत (सिरौही)

पहली अनुसूची
भू-स्वामियों के लिए प्रतिकर भूमि अर्जन, अधिकार अधिनियम 2013 के अनुसार

क्र.स.	अधिनियम के अधिन अर्जित भूमि की बाबत प्रतिकर पैकेज के संघटक	मूल्य अवधारण की रीति	मूल्य अवधारण की तारीख
1	2	3	4
1.	भूमि का बाजार मूल्य	धारा 26 के अधीन उपबंधित रूप में अवधारण किया जाएगा।	भूमि के लिए भूमि दुसरी अनुसूचि के अनुसार ढाई एकड़ की सीमा तक शेष भूमि का मुआवजा डी.एल.सी. रेट व गुणांक 2 के अनुसार
2.	ग्रामीण क्षेत्रों की दशा में वे कारक, जिनके द्वारा बाजार मूल्य गुणित किया जाना है	शहरी क्षेत्र से परियोजना की ऐसी दूरी के आधार पर 1.00 (एक) से (दो) जो समुचित सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए।	
3.	शहरी क्षेत्रों की दशा में, वे कारक, जिनके द्वारा बाजार मूल्य गुणित किया जाना है।	1.00 (एक)	-----
4.	भूमि या भवन से जुड़ी अस्तियों का मूल्य	धारा 29 के अधीन उपबंधित रूप में अवधारण किया जाएगा।	राशि प्रचलित विभागीय दर अनुसूचि के अनुसार
5.	तोषण	क्रम संख्यांक 1 के सामने वर्णित भूमि के बाजार मूल्य के शत प्रतिशत के समतुल्य, जिसे ग्रामीण क्षेत्रों के लिए क्रम संख्यांक 2 या शहरी क्षेत्रों के लिए क्रम संख्यांक 3 के सामने विनिर्दिष्ट कारक जमा स्तंभ (2) के अधीन क्रम संख्यांक 4 के सामने भूमि या भवन से जुड़ी अस्तियों के मूल्य से गुणित किया जाएगा।	शेष भूमि का मुआवजा क्र. सं. 1 व क्र.सं. 2 पर गुणांक का 100 प्रतिशत व क्र.सं. 4 पर अस्तियों का 100 प्रतिशत
6.	ग्रामीण क्षेत्रों में अंतिम अधिनिर्णय	क्रम संख्यांक 1 के सामने वर्णित भूमि का बाजार मूल्य, क्रम संख्यांक 2 के सामने विनिर्दिष्ट कारक जमा स्तंभ (2) के अधीन क्रम संख्यांक 4 के सामने वर्णित भूमि या भवन से जुड़ी अस्तियों के मूल्य जमा स्तंभ (2) के अधीन क्रम संख्यांक 5 के सामने वर्णित तोषण से गुणित किया जाएगा।	(भूमि के लिए भूमि दुसरी अनुसूचि ढाई एकड़ सीमा तक शेष भूमि पर डी.एल.सी. दर का दो गुणा + भूमि या भवन से जुड़ी अस्तियों का मूल्य विभागीय दर अनुसूचि के अनुसार) + 100 प्रतिशत तोषण राशि (क्र.सं. 5 के अनुसार)


 सहायक जमियन्ता
 जल संसाधन परियोजना उपखण्ड
 आबूरोड़


 अधिशाषी अभियन्ता
 जल संसाधन खण्ड
 सिरौही


 प्रशासक पुनर्वासन - पुनर्व्यवस्थापन
 एवं उपखण्ड अधिकारी
 आबूपर्वत

दूसरी अनुसूची
पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन हकदारी के तत्व भूमि अर्जन, अधिकार अधिनियम 2013 के अनुसार

क्र.स.	पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन हकदारियों के तत्व	हकदारी/उपबन्ध	क्या उपलब्ध कराया गया है या नहीं (यदि उपलब्ध कराया गया है तो ब्यौरा दे)
1	2	3	4
1.	विस्थापन की दशा में आवासन इकाईयों की व्यवस्था	(1) यदि ग्रामीण क्षेत्रों में किसी मकान से वंचित किया जाता है, तो इंदिरा आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक निर्मित मकान उपलब्ध कराया जाएगा। यदि शहरी क्षेत्रों में किसी मकान से वंचित किया जाता है, तो एक निर्मित मकान उपलब्ध कराया जाएगा, जिसका कुर्सी क्षेत्र 50 वर्गमीटर से कम नहीं होगा। (2) उपर सूचीबद्ध फायदों को ऐसे किसी प्रभावित कुटुंब को, जो वासक्षेत्र भूमि से रहित है और जो प्रभावित क्षेत्र की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ति 3 वर्षों से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है और जिसे ऐसे क्षेत्र से अस्वैच्छिक रूप से विस्थापित किया गया है, भी विस्तारित किया जायेगा। परन्तु शहरी क्षेत्रों में ऐसा कोई कुटुंब, जो प्रस्थापित मकान को लेने का विकल्प चुनता है, मकान निर्माण के लिए एक बार वित्तीय सहायता, जो एक लाख पचास हजार रुपये से कम नहीं होगी, प्राप्त करेगा। परन्तु यह और की यदि ग्रामीण क्षेत्रों में कोई प्रभावित कुटुंब ऐसा चाहे तो उसे निर्मित मकान के बदले, मकान के समतुल्य खर्च प्रस्थापित किया जा सकेगा। परन्तु यह भी की अर्जन से प्रभावित किसी कुटुंब को इस अधिनियम के उपबन्धों के अधिन एक से अधिक मकान नहीं दिया जा सकेगा। स्पष्टीकरण :- शहरी क्षेत्रों में मकान यदि आवश्यक हो, बहुभोजिले भवन प्रक्षेत्र में उपलब्ध कराया जा सकेगा।	प्रत्येक कुटुंब को रहने के लिए आवासीय इकाई इंदिरा आवास योजना के स्पेशीफिकेशन अनुसार या समतुल्य राशि एवं पेयजल सुविधाओं, शौचालय इत्यादि का प्रावधान
2.	भूमि के लिए भूमि	सिचाई परियोजना की दशा में, यथा सम्भव और अर्जित भूमि के लिए संदत्त किए जाने वाले प्रतिकार के बजाय, प्रभावित क्षेत्र में की कृषि भूमि का स्वामित्व रखने वाले प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को जिसकी भूमि अर्जित की गई है या जिससे वह वंचित हो गया है या जो भूमि के अर्जन या हानि के परिणाम स्वरूप सीमांत कृषक या भूमिहीन की प्रास्थिति में आ गया है, प्रभावित कुटुंब से सम्बन्धित अधिकारों के अभिलेखों में सम्मिलित प्रत्येक व्यक्ति के नाम से उस परियोजना के, जिसके लिए भूमि अर्जित की गई है, प्रभाव क्षेत्र में न्यूनतम एक एकड़ भूमि आवंटित की जायेगी। परन्तु प्रत्येक ऐसी परियोजना में, उन व्यक्तियों को, जो अपनी भूमि से वंचित हो रहे हैं और अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन जातियों के हैं, अर्जित क्षेत्र के समतुल्य या ढाई एकड़ भूमि जो भी कम हो उपलब्ध कराई जायेगी।	भूमि के लिए भूमि जोकि अर्जित क्षेत्र के समतुल्य या ढाई एकड़ भूमि, जो भी कम हो उपलब्ध कराई जाएगी तथा अर्जित भूमि का क्षेत्र ढाई एकड़ भूमि से अधिक होने की दशा में शेष भूमि का प्रचलित आरक्षित दर के अनुसार देय होगा।

3	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	समुचित सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि प्रभावित कुटुंबों के लिए निम्नलिखित विकल्पों का उपबंध किया गया है :- (क) जहां परियोजना के माध्यम से कार्य सुजित किया जाता है वहां, अपेक्षित क्षेत्रों में समुचित प्रशिक्षण देने और कौशल विकास करने के पश्चात प्रत्येक प्रभावित कुटुंब के कम से कम एक सदस्य के लिए उस दर पर जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि से उपबंधित न्यूनतम मजदूरी से कम न हो, उस परियोजना में नियोजन का उपबंध किया जाना या ऐसी अन्य परियोजना में ऐसे कार्य की, जिसकी अपेक्षा की जाए, व्यवस्था किया जाना।	प्रभावित कुटुंब के युवकों के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से दक्षता का विकास फार्म नम्बर 6 नियम 15 के अनुसार किया जाएगा।
4.	विस्थापित कुटुंबों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन-निर्वाह अनुदान	ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को, जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है, अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक तीन हजार रुपये प्रतिमास के समतुल्य जीवन निर्वाह भत्ता मासिक तौर पर दिया जाएगा। इस रकम के अतिरिक्त अनुसूचित क्षेत्रों से विस्थापित किए गये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जनजाति के लोग पचास हजार के समतुल्य रकम प्राप्त करेंगे। अनुसूचित क्षेत्रों से विस्थापन की दशा में, यथा सम्भव प्रभावित कुटुंबों को वैसे ही पारिस्थितिक क्षेत्र में पुनर्वासित किया जाएगा जिससे जनजातिय समुदायों के आर्थिक अवसरों को उनकी भावा, संस्कृति और सामुदायिक जीवन को परिरक्षित रखा जा सकें।	(1) अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक राशि रु. 3000/- प्रतिमाह प्रति परिवार (2) एस.सी. व एस.टी. के लिए अतिरिक्त राशि रु. 50000/- प्रति परिवार
5.	विस्थापित कुटुंबों के लिए परिवहन खर्च	ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को, जो विस्थापित हुआ है, कुटुंब भवन सामग्री, धरेलू सामग्री और पशुओं को दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए परिवहन खर्च के रूप में पचास हजार रुपये की एक बारगी वित्तीय सहायता दी जाएगी।	राशि रु. 50000/- प्रति परिवार एक बारगी वित्तीय सहायता
6.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	पशु या छोटी दुकान रखने वाला प्रत्येक प्रभावित कुटुंब ऐसी रकम की वित्तीय सहायता, यथा स्थिति, पशु बाड़े या छोटी दुकान के निर्माण के लिए, एक बारगी ऐसी रकम की वित्तीय सहायता प्राप्त करेगा, जो समुचित सरकार द्वारा, न्यूनतम पच्चीस हजार रुपये की सीमा के अधिन रहते हुए अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।	पशुबाड़ा राशि 25000/- प्रति परिवार
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल पचास हजार रुपये का एक बारगी "पुनर्व्यवस्थापन भत्ता" दिया जाएगा।	एक बारगी रु. 50000/- प्रति परिवार
8.	मछली पकड़ने का अधिकार	सिंचाई या जल विद्युत परियोजनाओं के मानलों में प्रभावित कुटुंबों को जलाशय में मछली पकड़ने के अधिकार की अनुज्ञा ऐसी रीति में दी जा सकेगी जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए।	यथा अनुसार
9.	स्टांप शुल्क और रजिस्ट्रीकरण फीस	(1) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टाम्प शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा। (2) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित मकान के लिए भूमि समी वित्तलगभों से मुक्त होगी। (3) आवंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुंब की पत्नी और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा।	यथा अनुसार

सहायक अभियन्ता
जल संसाधन परियोजना उपखण्ड
आबूरोड़

अधिसाधो अभियन्ता
जल संसाधन खण्ड
सिरोही

प्रशासक पुनर्वासन - पुनर्व्यवस्थापन
एवं उपखण्ड अधिकारी
आबूपर्वत

तीसरी अनुसूची

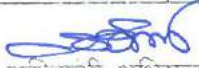
अवसंरचनात्मक सुविधाओं का उपबंध भूमि अर्जन, अधिकार अधिनियम 2013 के अनुसार

क्र.स.	भूमि के अर्जनकर्ता द्वारा उपलब्ध कराई गई/उपलब्ध कराये जाने के लिए प्रस्तावित, अवसंरचनात्मक सुख-सुविधाओं के संघटक	भूमि के अर्जनकर्ता द्वारा उपलब्ध कराई गई अवसंरचनात्मक सुख-सुविधाओं के ब्यौरे
1	2	3
1	सभी पुनर्व्यवस्थापित कुटुंबों के लिए पुनर्व्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़कों और पक्की सड़क के समीपस्थ सभी मौसमों में उपयुक्त सड़क-लिंक और मार्गाधिकार तथा सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जाए।	पुनर्व्यवस्थापित गांवों में सम्पर्क सड़क लिंक की व्यवस्था की जावेगी।
2	वास्तविक पुनर्व्यवस्थापन के पूर्व उचित जल निकासी और स्वच्छ योजनाओं का निष्पादन किया जाना।	पुनर्व्यवस्थापित गांवों में उचित जल निकासी व स्वच्छ योजनाओं टायलेट निर्माण करवाया जायेगा।
3	भारत सरकार द्वारा विहित सन्नियमों के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेयजल के एक या अधिक आशवासित स्रोत।	पुनर्व्यवस्थापित गांवों में 12 हैण्डपम्प व 1 ट्यूबवेल GLR सहित
4	पशुओं के लिए पेयजल की व्यवस्था।	स्वयं के स्तर पर
5	राज्य में स्वीकार्य अनुपात के अनुसार चरागाह।	लागू नहीं
6	उचित कीमत दुकान की युक्तियुक्त संख्या	लागू नहीं
7	यथोचित पंचायत घर	लागू नहीं
8	बचत खाता खोलने की सुविधाओं के साथ ग्राम स्तर पर यथोचित डाकघर।	आवश्यक नहीं क्योंकि लगते क्षेत्र में सुविधाएँ उपलब्ध हैं।
9	बीज सह उर्वरक भंडारण की समुचित सुविधा, यदि आवश्यक हो।	लागू नहीं
10	पुनर्व्यवस्थापित कुटुंबों को आपंटित कृषि भूमि के लिए मूलभूत सिंचाई सुविधाएं यदि सिंचाई परियोजना से सम्बन्धित न हो तो सहकारिता का विकास करके या किसी सरकारी स्कीम या विशेष सहायता द्वारा उपलब्ध कराने के प्रयास किए जाएं।	पश्चिम बंगाल बांध के कनाण्ड क्षेत्र में होने से समुचित सिंचाई सुविधा उपलब्ध है।
11	विरथापित व्यक्तियों के पुनर्व्यवस्थापन के लिए स्थापित सभी नए ग्रामों को उपयुक्त परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी जिसमें नजदीकी विकास केन्द्र/शहरी रिहायशों से स्थानीय बस सेवाओं के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं अवश्य सम्मिलित होनी चाहिए।	स्थानीय व्यवस्थाओं से जुड़ा है।
12	स्थल पर रहने वाले जाति-समुदायों और उनकी प्रथाओं के आधार पर कब्रस्तान या श्मशानघाट	आवश्यकतानुसार उपलब्ध
13	स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिनके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन स्थल।	उपलब्ध कराये जायेंगे।



14	प्रत्येक गृहस्थी के लिए और सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर उर्जा जैसे उर्जा के गैर-परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)	प्रावधानों अनुसार
15	शिशु और माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनवाड़ी।	पूर्णव्यवस्थापन क्षेत्र में दो आंगनवाड़ी केन्द्र का प्रावधान
16	निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35) के उपबंधों के अनुसार विद्यालय।	पूर्णव्यवस्थापन क्षेत्र में दो विद्यालय मांग व आवश्यकता अनुसार प्रावधान
17	दो किलोमीटर के भीतर उपस्वास्थ्य केन्द्र	उपलब्ध है।
18	भारत सरकार द्वारा यथाविहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	उपलब्ध है।
19	बच्चों के लिए क्रीड़ा स्थल	पूर्णव्यवस्थापन क्षेत्र में दो क्रीड़ा स्थल का प्रावधान सम्मिलित किया है।
20	प्रत्येक सौ कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक केन्द्र	पूर्णव्यवस्थापन क्षेत्र में दो क्रीड़ा स्थल का प्रावधान सम्मिलित किया है।
21	प्रभावित क्षेत्रों की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्येक पचास कुटुंबों के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल/वृक्ष चबुतरा।	पूर्णव्यवस्थापन क्षेत्र में 2 पूजा व 3 सामुदायिक भवनों प्रावधान सम्मिलित किया है।
22	परंपरागत जनजातीय संस्थाओं के लिए अलग भूमि का चिह्नित किया जाना।	उपलब्ध है।
23	वन में रहने वाले कुटुंबों को जहां सम्भव हो गैर काष्ठ वनोत्पाद संबंधी उनके वन्य अधिकार और सामान्य संपत्ति संसाधन यदि वे व्यवस्थापन के नए स्थान के समीप उपलब्ध हो उपलब्ध कराए जाएं और यदि ऐसे कोई कुटुंब वेदखली के ऐसे स्थान के समीप के क्षेत्र में की ऐसे वन या सामान्य संपत्ति में अपनी पहुंच या प्रवेश को जारी रख सकता है तो वे आजीविका के पूर्वोक्त स्रोतों के अपने पूर्व अधिकारों के उपयोग को जारी रख सकेंगे।	आवश्यक नहीं
24	व्यवस्थापन के लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था का यदि आवश्यक हो, उपबंध किया जाना चाहिए।	समुदाय आधारित
25	सन्निधियों के अनुसार पशुपालन सेवा केन्द्र	उपलब्ध है


 सहायक अभियन्ता
 जल संसाधन परियोजना उपखण्ड
 आबूरोड


 अधिशाषी अभियन्ता
 जल संसाधन खण्ड
 सिरौही


 प्रशासक पुनर्वासन - पुनर्व्यवस्थापन
 एवं उपखण्ड अधिकारी
 आवूपर्वत

बत्तीसा नाला परियोजना अन्तर्गत सिरौही जिले की तहसील आबूरोड के विस्थापित होने वाले पूर्ण व आंशिक गांव का विवरण

क्र० सं०	गांव का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	प्रभावित परिवारों की संख्या			आवश्यक प्लॉटों की संख्या			प्लॉट आवंटन हेतु आवश्यक भूमि (हेक्टेयर)					पूर्णवास हेतु प्रस्तावित गांव का सं०			
			सा.	अ. जा.	अ. जा.	योग	सा.	अ. जा.	अ. जा.	योग	सा.	अ. जा.	अ. जा.		हेक्टे०	बीघा-बि स्वा	रकबा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	पूर्ण रूप से ख़ुद में आ रहे गांव																
1	क्यारी	जायदरा	-	-	164	164	-	-	164	164	-	-	3.66	3.66	14-09	14-09	भीमाना
	योग		-	-	164	164	-	-	164	164	-	-	3.66	3.66	14-09	14-09	
	आंशिक रूप से ख़ुद में आ रहे गांव																
2	निवलागढ़	निवलागढ़	-	-	127	127	-	-	127	127	-	-	2.83	2.83	11-04	11-04	भीमाना
	योग		-	-	127	127	-	-	127	127	-	-	2.83	2.83	11-04	11-04	
	महायोग		-	-	291	291	-	-	291	291	-	-	6.49	6.49	25-13	25-13	

सहायक अभियन्ता
जल संसाधन सप्लाइड, आबूरोड

अधिशायी अभियन्ता
जल संसाधन खण्ड, सिरौही

बत्तीसा नाला लघु सिंचाई परियोजना के डूब में आने वाले परिवारों की जन गणना का विवरण

क्र०सं०	नाम ग्राम	तहसील	पुरुष	स्त्री	योग
1	2	3	4	5	6
1	देलदर	आबूरोड	0	0	0
2	कथारी	आबूरोड	220	176	396
3	जायदरा	आबूरोड	0		
4	निचलागढ़	आबूरोड	186	184	370
		योग	406	360	766

सहायक अभियन्ता

जल संसाधन उपखण्ड, सरफ

अधिकाधी अभियन्ता

जल संसाधन खण्ड, सिरोही

बत्तीसा नाला सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत डूब क्षेत्र में आने वाले परिवारों व परिसम्पत्तियों का सारांश

क्र.सं.	गाँव का नाम	परिवार की संख्या	मकानों की संख्या	केटल शेड	कुओं की संख्या		पेड़ों का विवरण			विशेष विवरण
					कच्चा	पक्का	किस्म			
							फलदार	अन्य		
1	वधारी	164	96	164	2	3	238	189		
2	गिचलागढ	127	69	127	1	4	515	367		
3	देलदर	--	--	--		--	12	47		
4	जायदरा	--	--	--	1	3	22	65		
कुल योग		291	165	291	4	10	787	668		

सहायक अभियन्ता
जल संसाधन उपखण्ड,
सरुपगंज

तहसीलदार
आबूरोड

अधिसाधी अभियन्ता
जल संसाधन खण्ड,
सिरोही

प्रशासक पूनर्वासन -पुनर्व्यवस्थापन
एवं उपखण्ड अधिकारी
आबूपर्वत

बत्तीसा नाला सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत डूब क्षेत्र की अवाप्त की जाने वाली भूमि का विवरण

क्र. सं.	गांव का नाम	अवाप्त की जानी वाली भूमि अनुमानित			पुनर्स्थापित किये जाने वाला गांव	भूमि के बदले भूमि का विवरण			शेष 2.5 एकड से अधिक भूमि जिसका मुआवजा देय होगा			विशेष विवरण
		भूमि				बदले भूमि	अवाप्त की जाने वाली भूमि के		बीघा	बिस्वा	है.	
		बीघा	बिस्वा	है.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	क्यारी	200	14	50.79	भीमाना	193	14	49.02	7	0	1.77	
2	गिहलागढ़	55	12	14.07	भीमाना	51	2	12.93	4	8	1.11	
3	देलदर	13	7	3.38	भीमाना	13	7	3.38	0	0	---	
4	जायदरा	18	15	4.74	भीमाना	18	10	4.68	0	4	0.05	
	योग	288	8	72.98		276	13	70.01	11	12	2.93	

सहायक अभियन्ता
जल संसाधन उपखण्ड,
सरुपगंज

तहसीलदार
आबूरोड

अधिकांशी अभियन्ता
जल संसाधन खण्ड,
सिरोही

प्रशासक पुनर्वसन -पुनर्व्यवस्थापन
एवं उपखण्ड अधिकारी
आबूपर्वत

बत्तीसा नाला सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत डूब क्षेत्र में आने वाली राजकीय व सामुदायिक परिसम्पत्तियों का सांराश

क्र.सं.	गांव का नाम	राजकीय विद्यालय	स्वास्थ्य केन्द्र	आंगनबाडी केन्द्र	मन्दिर / चबूतरा	सामुदायिक भवन	पानी की टंकी
1	क्यारी	1	1	1	2	3	1
2	निचलागढ	1	1	--	2	1	1
3	देलदर	--	--	--	--	--	--
4	जायदरा	--	--	--	--	--	--
कुल योग		2	2	1	4	4	2

सहायक अभियन्ता
जल संसामन उपखण्ड,
बारापर्वत

तहसीलदार
आबूरोड

अधिशोषी अभियन्ता
जल संसाधन खण्ड,
सिरोही

प्रशासक पुनर्वासन - पुनर्व्यवस्थापन
एवं उपखण्ड अधिकारी
आबूपर्वत

कार्यालय प्रशासक, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यस्थापन एवं उपखण्ड अधिकारी, आबूपर्वत जिला सिराही
 बत्तीसा नाला लघु सिंचाई परियोजना के ड्यू क्षेत्र से विस्थापित होने वाले परिवारों की सूची एवं देय परिलाम

विस्थापित होने वाले परिवारों की सूची										पुनर्वासन एवं पुनर्व्यस्थापन के अन्तर्गत विस्थापित परिवारों के देय परिलाम (अधिनियम 2013 के अनुसार)							
क्र.सं.	पुरुष	महिला	परिवार के मुखिया का नाम	परिवार के सदस्य	जाति	सिमा		आयु	व्यवसाय	आवासीय भूखण्ड संख्या (सर्वाइज 40' x 60')	प्रतिव्य आयस के समुल्य आधार अंशक समुल्य राशि (अनुसूची 2 के अनुसार)	जीवन निधि अनुदान रु. @ 3000/- मासिक एक वर्ष के लिए (अनुसूची 2 के अनुसार)	अनुसूचित क्षेत्र से अनुसूचित-2 के अनुसार के अनुसार)	परिवहन खर्च हेतु सहायता	परिवारा उपर	एक बारगी पुनर्व्यस्थापन हेतु	कुल देय राशि
						पुरुष	महिला										
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
ग्राम-क्यारी																	
1			आरमा पुत्र नाथ		मासिया	1				1	149280	36000	50000	50,000	25000	50000	360280
2				जोशी / आरमा	मासिया												
3	1			विमल / आरमा	मासिया												
4				उमरा / आरमा	मासिया												
5				सरा / आरमा	मासिया												
6				पिरी पत्नी नाथ	मासिया												
7	2			राम पुत्र नाथ	मासिया												
8				अनामदास पुत्र नाथ	मासिया												
9	3			विभवराज पुत्र नाथ	मासिया												
10				जाना पुत्र आनाराम	मासिया												
11				सोमरा पुत्र नाथ	मासिया												
12				विश्वरी पत्नी रामर	मासिया												
13		7		दीपा पुत्र सोमरा	मासिया												
14				शेरा पत्नी रामरा	मासिया												
15				मनोहर पुत्र सोमरा	मासिया												
16		8		सोमरा पुत्र सोमरा	मासिया												
17				सोमरा पुत्र सोमरा	मासिया												
18				सोमरा पत्नी सोमरा	मासिया												
19		10		केले पत्नी नाथ	मासिया												
20				मना पुत्र नाथ	मासिया												
21		11		मना पुत्र नाथ	मासिया												
22				शमरा पुत्र नाथ	मासिया												
23				मनोहर पत्नी रामर	मासिया												
24		10		सोमरा पुत्र सोमरा	मासिया												

70		शकराज पुत्र शोभा	शरिया	1	41	कृषि	1	149280	36000	50000	50,000	25000	50000	360280
71		जयराज पुत्री शरिया	शरिया	1	39	गृहणी	1							
72	16	शोभा पुत्री शरिया	शरिया	1	14	पढाई	1							
73	27	अमिता पुत्री शरिया	शरिया	1	13	पढाई	1							
74		जोशना पुत्री शरिया	शरिया	1	6	पढाई	1							
75		गुलमी पुत्री शरिया	शरिया	1	3		1							
76		दिनेश पुत्र शरिया	शरिया	1	1		1							
77		कल्याण पुत्र शरिया	शरिया	1	21	मजदूरी	1	149280	36000	50000	50,000	25000	50000	360280
78	17	शोभा पुत्री शरिया	शरिया	1	19	गृहणी	1							
79	28	रजिता पुत्री शरिया	शरिया	1	8	पढाई	1							
80		मकेश पुत्र शरिया	शरिया	1	3		1							
81		पुनमी पुत्री शरिया	शरिया	1	3		1							
82	18	शरिया पुत्र शरिया	शरिया	1	27	मजदूरी	1	149280	36000	50000	50,000	25000	50000	360280
83		शोभा पुत्री शरिया	शरिया	1	60	कृषि	1	149280	36000	50000	50,000	25000	50000	360280
84	30	शरिया पुत्र शरिया	शरिया	1	58	गृहणी	1							
85		शरिया पुत्र शरिया	शरिया	1	17	मजदूरी	1	149280	36000	50000	50,000	25000	50000	360280
86		शरिया पुत्र शरिया	शरिया	1	60	कृषि	1							
87		शरिया पुत्र शरिया	शरिया	1	58	गृहणी	1							
88		शरिया पुत्र शरिया	शरिया	1	16	पढाई	1							
89	31	शरिया पुत्र शरिया	शरिया	1	14	पढाई	1							
90		शरिया पुत्र शरिया	शरिया	1	7	पढाई	1							
91		शरिया पुत्र शरिया	शरिया	1	6	पढाई	1							
92		शरिया पुत्र शरिया	शरिया	1	2		1							
93		शरिया पुत्र शरिया	शरिया	1	30	कृषि	1	149280	36000	50000	50,000	25000	50000	360280
94		शरिया पुत्र शरिया	शरिया	1	28	गृहणी	1							
95	32	शरिया पुत्र शरिया	शरिया	1	11	पढाई	1							
96		शरिया पुत्र शरिया	शरिया	1	8	पढाई	1							
97		शरिया पुत्र शरिया	शरिया	1	3		1							
98		शरिया पुत्र शरिया	शरिया	1	25	कृषि	1	149280	36000	50000	50,000	25000	50000	360280
99		शरिया पुत्र शरिया	शरिया	1	55		1	149280	36000	50000	50,000	25000	50000	360280
100		शरिया पुत्र शरिया	शरिया	1	45		1	149280	36000	50000	50,000	25000	50000	360280
101	21	शरिया पुत्र शरिया	शरिया	1	12		1							
102		शरिया पुत्र शरिया	शरिया	1	5		1							
103		शरिया पुत्र शरिया	शरिया	1	37	मजदूरी	1	149280	36000	50000	50,000	25000	50000	360280
104	22	शरिया पुत्र शरिया	शरिया	1	35	गृहणी	1							
105		शरिया पुत्र शरिया	शरिया	1	5		1							
106		शरिया पुत्र शरिया	शरिया	1	36	कृषि	1	149280	36000	50000	50,000	25000	50000	360280
107	23	शरिया पुत्र शरिया	शरिया	1	34	गृहणी	1							
108		शरिया पुत्र शरिया	शरिया	1	12	पढाई	1							
109		शरिया पुत्र शरिया	शरिया	1	11	पढाई	1							
110	24	शरिया पुत्र शरिया	शरिया	1	10	पढाई	1							
111		शरिया पुत्र शरिया	शरिया	1	8	पढाई	1							
112		शरिया पुत्र शरिया	शरिया	1	3		1							
113		शरिया पुत्र शरिया	शरिया	1	3		1							
114		शरिया पुत्र शरिया	शरिया	1	3		1							

115	25	अरजारास पुत्र देवा	अरिषा	अरिषा	1	43	गुरु	1	149280	36000	50000	25000	50000	360280
116		गुजरी पत्नी देवा	अरिषा	अरिषा	1	41	गुरुणी	1	149280	36000	50000	25000	50000	360280
117		हनुया पुत्र अरजारास	अरिषा	अरिषा	1	66	कृषि	1	149280	36000	50000	25000	50000	360280
118	26		अरिषा	अरिषा	1	25	कृषि	1	149280	36000	50000	25000	50000	360280
119		गान्धी पत्नी लम्बारास	अरिषा	अरिषा	1	22	गुरुणी	1						
120		अनीता पुत्री लम्बारास	अरिषा	अरिषा	1	1		1	149280	36000	50000	25000	50000	360280
121	27	मोक्ष पुत्र अरजारास	अरिषा	अरिषा	1	20	मजदूरी	1	149280	36000	50000	25000	50000	360280
122		मोदनी पत्नी मल्लेश	अरिषा	अरिषा	1	19	गुरुणी	1						
123		मल्लारज पुत्र केसारास	अरिषा	अरिषा	1	36	कृषि	1	149280	36000	50000	25000	50000	360280
124		लीला पत्नी भालाराम	अरिषा	अरिषा	1	34	गुरुणी	1						
125	28	मोक्ष पुत्र कालाराम	अरिषा	अरिषा	1	14	पदाई	1						
126		गुरा पुत्र कालाराम	अरिषा	अरिषा	1	10	पदाई	1						
127		शिव्या पुत्री कालाराम	अरिषा	अरिषा	1	3		1						
128		अलाराम पुत्र कालाराम	अरिषा	अरिषा	1	8	पदाई	1						
129	29	दीपाराम पुत्र केसारास	अरिषा	अरिषा	1	40	कृषि	1	149280	36000	50000	25000	50000	360280
130		केसारास पुत्र नगाजी	अरिषा	अरिषा	1	65	कृषि	1	149280	36000	50000	25000	50000	360280
131			अरिषा	अरिषा	1	60	गुरुणी	1						
132	30	रामाराम पुत्र केसारास	अरिषा	अरिषा	1	28	मजदूरी	1	149280	36000	50000	25000	50000	360280
133			अरिषा	अरिषा	1	25	गुरुणी	1						
134		मल्लेश पुत्र राजाराम	अरिषा	अरिषा	1	2		1						
135		मोक्षाराम पुत्र कालाजी	अरिषा	अरिषा	1	45	मजदूरी	1	149280	36000	50000	25000	50000	360280
136			अरिषा	अरिषा	1	43	गुरुणी	1						
137	31		अरिषा	अरिषा	1	12	पदाई	1						
138			अरिषा	अरिषा	1	9	पदाई	1						
139			अरिषा	अरिषा	1	5	पदाई	1						
140	32	देवा पुत्र राजाराम	अरिषा	अरिषा	1	68	कृषि	1	149280	36000	50000	25000	50000	360280
141			अरिषा	अरिषा	1	65	गुरुणी	1						
142	33	रमणी पुत्री देवा	अरिषा	अरिषा	1	18	पदाई	1	149280	36000	50000	25000	50000	360280
143		अरिषारास पुत्र देवा	अरिषा	अरिषा	1	29	मजदूरी	1	149280	36000	50000	25000	50000	360280
144			अरिषा	अरिषा	1	25	गुरुणी	1						
145		दीपाराम पुत्र मंगला	अरिषा	अरिषा	1	35	मजदूरी	1	149280	36000	50000	25000	50000	360280
146			अरिषा	अरिषा	1	33	गुरुणी	1						
147	34		अरिषा	अरिषा	1	13	पदाई	1						
148			अरिषा	अरिषा	1	10	पदाई	1						
149			अरिषा	अरिषा	1	12	पदाई	1						
150			अरिषा	अरिषा	1	8	पदाई	1						
151		मंगला पुत्र देवा	अरिषा	अरिषा	1	55	कृषि	1	149280	36000	50000	25000	50000	360280
152			अरिषा	अरिषा	1	54	गुरुणी	1						
153			अरिषा	अरिषा	1	9	पदाई	1						
154		अरिषारास पुत्र मंगला	अरिषा	अरिषा	1	25	कृषि	1	149280	36000	50000	25000	50000	360280
155			अरिषा	अरिषा	1	23	गुरुणी	1						
156	35	रघु पुत्री मंगला	अरिषा	अरिषा	1	19	पदाई	1	149280	36000	50000	25000	50000	360280
157		मिनी पुत्री मंगला	अरिषा	अरिषा	1	21	पदाई	1	149280	36000	50000	25000	50000	360280
158		राज पुत्र मंगला	अरिषा	अरिषा	1	27	कृषि	1	149280	36000	50000	25000	50000	360280

[Handwritten signature]

[illegible]

2013	41	60	शेखर पुत्र शंकर	गणेशिया	1	20	गुहणी	1	149280	36000	50000	25000	50000	360280
2014				गणेशिया	1	28	मजदूरी	1						
2015				गणेशिया	1	22	गुहणी							
2016	44	67		गणेशिया	1	5								
2017				गणेशिया	1	1								
2018				गणेशिया	1	1								
2019			हनुमतराम पुत्र शंकर	गणेशिया	1	60	गुहणी	1	149280	36000	50000	25000	50000	360280
210		68		गणेशिया	1	55	गुहणी							
211				गणेशिया	1									
212				गणेशिया	1	13	पढाई							
213				गणेशिया	1									
214	45	69	श्रीमदराम पुत्र हनुम	गणेशिया	1	42		1	149280	36000	50000	25000	50000	360280
215	46	70	श्रीमदराम पुत्र हनुम	गणेशिया	1			1	149280	36000	50000	25000	50000	360280
216		71	श्रीमदराम पुत्र हनुम	गणेशिया	1			1	149280	36000	50000	25000	50000	360280
217		72	श्रीमदराम पुत्र हनुम	गणेशिया	1			1	149280	36000	50000	25000	50000	360280
218		73	श्रीमदराम पुत्र हनुम	गणेशिया	1			1	149280	36000	50000	25000	50000	360280
219		74	श्रीमदराम पुत्र हनुम	गणेशिया	1			1	149280	36000	50000	25000	50000	360280
220		75	श्रीमदराम पुत्र हनुम	गणेशिया	1	45	मजदूरी	1	149280	36000	50000	25000	50000	360280
221				गणेशिया	1	40	गुहणी							
222			श्रीमदराम पुत्र अमरराम	गणेशिया	1	28	मजदूरी	1	149280	36000	50000	25000	50000	360280
223				गणेशिया	1	25	गुहणी							
224	47	76		गणेशिया	1									
225	64			गणेशिया	1									
226		77	श्रीमदराम पुत्र अमरराम	गणेशिया	1	24	मजदूरी	1	149280	36000	50000	25000	50000	360280
227				गणेशिया	1									
228		78	श्रीमदराम पुत्र अमरराम	गणेशिया	1	20	मजदूरी	1	149280	36000	50000	25000	50000	360280
229				गणेशिया	1									
230		79		गणेशिया	1									
231	48	80		गणेशिया	1									
232	49			गणेशिया	1									
233	50		श्रीमदराम पुत्र अमरराम	गणेशिया	1	40	मजदूरी	1	149280	36000	50000	25000	50000	360280
234				गणेशिया	1	38	गुहणी							
235	51	81		गणेशिया	1	14	पढाई							
236				गणेशिया	1	12	पढाई							
237				गणेशिया	1	10	पढाई							
238				गणेशिया	1	2								
239			श्रीमदराम पुत्र अमरराम	गणेशिया	1	43	गुहणी	1	149280	36000	50000	25000	50000	360280
240				गणेशिया	1	42	गुहणी							
241	52	82		गणेशिया	1	8	पढाई							
242				गणेशिया	1	6	पढाई							
243				गणेशिया	1	5	पढाई							
244				गणेशिया	1	4								
245		83	श्रीमदराम पुत्र अमरराम	गणेशिया	1			1	149280	36000	50000	25000	50000	360280
246				गणेशिया	1			1	149280	36000	50000	25000	50000	360280

[illegible]

292	105	विजयपुर पंच सावरी	गतिरिया	1		21	गजदरी	1	149280	36000	50000	50,000	25000	50000	360280
293	106	देवा पुत्री सावरी	गतिरिया	1			गजदरी	1	149280	36000	50000	50,000	25000	50000	360280
294			पत्नी देवा		1		गहणी								
295	107	नेहरू पुत्र साजी	गतिरिया	1		46	गजदरी	1	149280	36000	50000	50,000	25000	50000	360280
296			गतिरिया			44	गहणी								
297			सगली पत्नी नेहरू			16	पदाई								
298	108	विजयपुर पुत्र नेहरू	गतिरिया	1		22	गजदरी	1	149280	36000	50000	50,000	25000	50000	360280
299	109	देवराज पुत्र नेहरू	गतिरिया	1		20	गजदरी	1	149280	36000	50000	50,000	25000	50000	360280
300	110	सगली पुत्री नेहरू	गतिरिया	1		18	गजदरी	1	149280	36000	50000	50,000	25000	50000	360280
301	111	सगली पुत्री साजी	गतिरिया	1		40	गहणी	1	149280	36000	50000	50,000	25000	50000	360280
302	112	सगली पुत्री साजी	गतिरिया	1		55	गहणी	1	149280	36000	50000	50,000	25000	50000	360280
303		सगली पुत्री साजी	गतिरिया	1		50	गहणी	1	149280	36000	50000	50,000	25000	50000	360280
304		सगली पुत्री साजी	गतिरिया	1		15	पदाई								
305	113	सगली पुत्री साजी	गतिरिया	1		23	गजदरी	1	149280	36000	50000	50,000	25000	50000	360280
306	114	सगली पुत्री साजी	गतिरिया	1		20	गहणी								
307	115	सगली पुत्री साजी	गतिरिया	1		20	गजदरी	1	149280	36000	50000	50,000	25000	50000	360280
308		सगली पुत्री साजी	गतिरिया	1			गजदरी	1	149280	36000	50000	50,000	25000	50000	360280
309		सगली पुत्री साजी	गतिरिया	1			गहणी								
310	116	सगली पुत्री साजी	गतिरिया	1		60	गजदरी	1	149280	36000	50000	50,000	25000	50000	360280
311		सगली पुत्री साजी	गतिरिया	1		58	गहणी								
312		सगली पुत्री साजी	गतिरिया	1		56	गहणी								
313	117	सगली पुत्री साजी	गतिरिया	1		42	गजदरी	1	149280	36000	50000	50,000	25000	50000	360280
314	118	सगली पुत्री साजी	गतिरिया	1		20	गजदरी	1	149280	36000	50000	50,000	25000	50000	360280
315		सगली पुत्री साजी	गतिरिया	1		40	गजदरी	1	149280	36000	50000	50,000	25000	50000	360280
316	119	सगली पुत्री साजी	गतिरिया	1		38	गहणी								
317		सगली पुत्री साजी	गतिरिया	1		15	पदाई								
318		सगली पुत्री साजी	गतिरिया	1		10	पदाई								
319	120	सगली पुत्री साजी	गतिरिया	1		21	गजदरी	1	149280	36000	50000	50,000	25000	50000	360280
320	121	सगली पुत्री साजी	गतिरिया	1		20	गजदरी	1	149280	36000	50000	50,000	25000	50000	360280
321	122	सगली पुत्री साजी	गतिरिया	1		18	गजदरी	1	149280	36000	50000	50,000	25000	50000	360280
322		सगली पुत्री साजी	गतिरिया	1		35	गजदरी	1	149280	36000	50000	50,000	25000	50000	360280
323	123	सगली पुत्री साजी	गतिरिया	1		34	गहणी								
324		सगली पुत्री साजी	गतिरिया	1		14	पदाई								
325		सगली पुत्री साजी	गतिरिया	1		10	पदाई								
326		सगली पुत्री साजी	गतिरिया	1		6	पदाई								
327	124	सगली पुत्री साजी	गतिरिया	1		30	गजदरी	1	149280	36000	50000	50,000	25000	50000	360280
328		सगली पुत्री साजी	गतिरिया	1		28	गहणी								
329		सगली पुत्री साजी	गतिरिया	1		10	पदाई								
330		सगली पुत्री साजी	गतिरिया	1		8	पदाई								
331		सगली पुत्री साजी	गतिरिया	1		6	पदाई								
332		सगली पुत्री साजी	गतिरिया	1		4	पदाई								
333	125	सगली पुत्री साजी	गतिरिया	1		51	गहणी	1	149280	36000	50000	50,000	25000	50000	360280
334		सगली पुत्री साजी	गतिरिया	1		13	पदाई								
335	126	सगली पुत्री साजी	गतिरिया	1		22	पदाई	1	149280	36000	50000	50,000	25000	50000	360280
336	127	सगली पुत्री साजी	गतिरिया	1		19	पदाई	1	149280	36000	50000	50,000	25000	50000	360280

337	128	जयदेवी पत्नी विरगा		गतिरिया		1	18	पढई	1	149280	36000	50000	25000	50000	360280
338	129	कनई पुत्र गुण		गतिरिया	1		55	मजदूरी	1	149280	36000	50000	25000	50000	360280
339	78	कनई पुत्र गुण		गतिरिया		1	52	गुल्मी							
340	130	कनई पुत्र कनई		गतिरिया	1		20	पढई	1	149280	36000	50000	25000	50000	360280
341	76	राम पुत्र गुण		गतिरिया	1		54	मजदूरी	1	149280	36000	50000	25000	50000	360280
342		राम पुत्र गुण		गतिरिया	1		53	गुल्मी							
343	132	मन पुत्र राजा		गतिरिया	1		39	मजदूरी	1	149280	36000	50000	25000	50000	360280
344	80	मन पुत्र राजा		गतिरिया		1	38	गुल्मी							
345		मन पुत्र राजा		गतिरिया	1		22	पढई	1	149280	36000	50000	25000	50000	360280
346	133	मन पुत्र राजा		गतिरिया		1	20	पढई	1	149280	36000	50000	25000	50000	360280
347	81	मन पुत्र राजा		गतिरिया	1		25	मजदूरी	1	149280	36000	50000	25000	50000	360280
348		मन पुत्र राजा		गतिरिया		1	24	गुल्मी							
349	82	मन पुत्र राजा		गतिरिया	1		50	मजदूरी	1	149280	36000	50000	25000	50000	360280
350		मन पुत्र राजा		गतिरिया		1	48	गुल्मी							
351	137	मन पुत्र राजा		गतिरिया	1		48	मजदूरी	1	149280	36000	50000	25000	50000	360280
352	84	मन पुत्र राजा		गतिरिया	1		30	मजदूरी	1	149280	36000	50000	25000	50000	360280
353		मन पुत्र राजा		गतिरिया			35	मजदूरी	1	149280	36000	50000	25000	50000	360280
354		मन पुत्र राजा		गतिरिया	1		45	मजदूरी	1	149280	36000	50000	25000	50000	360280
355	85	मन पुत्र राजा		गतिरिया		1	40	गुल्मी							
356		मन पुत्र राजा		गतिरिया	1		11	पढई							
357		मन पुत्र राजा		गतिरिया		1	18	पढई	1	149280	36000	50000	25000	50000	360280
358		मन पुत्र राजा		गतिरिया	1		58	मजदूरी	1	149280	36000	50000	25000	50000	360280
359	86	मन पुत्र राजा		गतिरिया		1	55	गुल्मी							
360	87	मन पुत्र राजा		गतिरिया	1		38	मजदूरी	1	149280	36000	50000	25000	50000	360280
361		मन पुत्र राजा		गतिरिया		1	37	गुल्मी							
362		मन पुत्र राजा		गतिरिया	1		60	गुल्मी	1	149280	36000	50000	25000	50000	360280
363	88	मन पुत्र राजा		गतिरिया	1		65	मजदूरी	1	149280	36000	50000	25000	50000	360280
364		मन पुत्र राजा		गतिरिया		1	61	गुल्मी							
365		मन पुत्र राजा		गतिरिया	1		22	पढई	1	149280	36000	50000	25000	50000	360280
366		मन पुत्र राजा		गतिरिया		1	30	मजदूरी	1	149280	36000	50000	25000	50000	360280
367		मन पुत्र राजा		गतिरिया		1	28	गुल्मी							
368	89	मन पुत्र राजा		गतिरिया	1		10	पढई							
369		मन पुत्र राजा		गतिरिया	1		7	पढई							
370		मन पुत्र राजा		गतिरिया	1		6	पढई							
371		मन पुत्र राजा		गतिरिया	1		29	मजदूरी	1	149280	36000	50000	25000	50000	360280
372	137	मन पुत्र राजा		गतिरिया		1	24	गुल्मी							

कार्यालय प्रशासक, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यस्थापन एवं उपखण्ड अधिकारी, आबूपर्वत जिला सिरौही

बत्तीसा नाला लघु सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र से विस्थापित होने वाले परिवारों की सूची एवं देय परिलाभ

विस्थापित होने वाले परिवारों की सूची										पुनर्वासन एवं पुनर्व्यस्थापन के अन्तर्गत विस्थापित परिवारों के देय परिलाभ (अधिनियम 2013 के अनुसार)								
क्र.सं.	प.रि.वा.सं.	हस्ताक्षर	परिवार के मुखिया का नाम	परिवार के सदस्य	राशि	लिंग		अयु	आवारी या भूखण्ड संख्या (साईज 40' x 60')	इसका आकार के समतुल्य आवास अथवा समतुल्य राशि (अनुसूची 2 के अनुसार) (1.2+0.12+0.1728)	जीवन निवृत्ति अनुदान रु. @ 3000/- मासिक एक वर्ष के लिए (अनुसूचि 2 के अनुसार)	अनुसूचित क्षेत्र हेतु अतिरिक्त राशि (अनुसूचि-2 के अनुसार)	परिवहन खर्च हेतु सहायता	पशुबाड़ा खर्च	एक बारगी पुनर्व्यस्थापन भत्ता	कुल देय राशि		
						पुरुष	महिला											
ग्राम- निचलागाढ़																		
1			मोहनलाल/मोसा	मौजदार	मारीया	1		45 मजदुरी	1	149280.00	36000.00	50000.00	50000.00	25000.00	50000.00	360280.00		
2				सुपुनलाल पुत्र मोहनलाल	मारीया		1	43 मजदुरी										
3				सुपुनलाल पुत्र मोहनलाल	मारीया	1		17 पढाई										
4				मीता पुत्री मोहनलाल	मारीया		1	14 पढाई										
5				मोहनलाल पुत्री मोहनलाल	मारीया		1	10 पढाई										
6				शंकरा पुत्र मोहनलाल	मारीया	1		12 पढाई										
7					मारीया		1	22 पढाई	1	149280.00	36000.00	50000.00	50000.00	25000.00	50000.00	360280.00		
8					मारीया		1	21 पढाई	1	149280.00	36000.00	50000.00	50000.00	25000.00	50000.00	360280.00		
9					मारीया		1	20 पढाई	1	149280.00	36000.00	50000.00	50000.00	25000.00	50000.00	360280.00		
10					मारीया	1		21 मजदुरी	1	149280.00	36000.00	50000.00	50000.00	25000.00	50000.00	360280.00		
11				मोहनलाल पुत्री शंकरा	मारीया		1	30 मजदुरी										
12				सुपुनलाल पुत्र शंकरा	मारीया	1		1										
13					मारीया	1		41 खेती	1	149280.00	36000.00	50000.00	50000.00	25000.00	50000.00	360280.00		
14				शंकरा पुत्र मोहनलाल	मारीया		1	30 मजदुरी										
15				मोहनलाल पुत्र मोहनलाल	मारीया	1		14 पढाई										

24

